S No. 2(i)

स्पीड पोस्ट द्वारा

7

सं. 21/93/2013-एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-।।, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक: 19 जून, 2013

सेवा में

श्री राजीव रंजन,
मकान नं. 387, भू-तल,
मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन-2,
नई दिल्ली-49

20 JUN 2013

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मुहैया करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 13.5.2013 के आवेदन तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 23.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास इस संबंध में प्रदान करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार इस पत्र के विरुद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को की जा सकती है।

भवदीय,

(आशुतोष जैन)
निदेशक एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

2190/13

2190/13 - 13 May 13

①

URGENT
RTI ACT
Diary No. 9260
& Date 13/05/13
Last Date 18/05/13
For

13 MAY 2013
DAK SECTION

सूचना पदाधिकारी महोदय
प्रधानमंत्री कार्यालय, ~~भारत सरकार~~

वि - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु

महाशय,

'सविनय' निवेदन यह है कि मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मेरा प्रश्न इस प्रकार है,

प्र० → 1947 से लेकर 2012 के बीच भारत सरकार के द्वारा कितने CBI (Central Bureau of Investigation) के 'Retired DIRECTOR' को संवैधानिक पद (जैसे कि राज्यपाल, राजदूत, किसी समिति का अध्यक्ष या किसी भी प्रकार का हो) दिया गया।

DOPT

अत: श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देने का कृपा करेंगे। इस पुनित कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा

पोस्टल आर्डर का विस्तार
11F 068779
09/05/2013 of ₹ 10/-

3750832

आपका विश्वासी
राजीव रंजन (9015866689)
मकान सं० - 381, भूतल,
मस्जिद मोड़, साउथ एक्स - 2
नई दिल्ली - 110049